

प्रेषक,

संजीव सरन,

अपर मुख्य सचिव,

उ०प्र० शासन,

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

उ०प्र० शासन, लखनऊ

आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 14 दिसम्बर 2017

विषय:- उ०प्र० सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय "उ०प्र० सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" निर्गत किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त नीति की प्रति संलग्न है।

2- कृपया संलग्न "उ०प्र० सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" में निहित अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(संजीव सरन)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या:-1133(1)/78-1-2017तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
- 5- निजी सचिव, मा० उप मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री जी, उ०प्र० शासन।
- 6- निजी सचिव, मा० विभागीय राज्य मंत्री जी, उ०प्र० शासन।
- 7- निदेशक सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 8- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्को/अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड/ श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ।
- 9- उप महानिदेशक, एन.आई.सी. योजना भवन, लखनऊ
- 10- राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश
- 11- राज्य समन्वयक, ई-सुविधा, लखनऊ
- 12- गार्ड फाइल


14/11/11

आज्ञा से,

(डॉ० अखिलेश कुमार मिश्रा)

विशेष सचिव।

✓

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।